

बुललेट ५१ प्रस्ता  
६१.

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/146/2011/32  
प्रति.

भोपाल दिनांक /07/2018

उप नियंत्रक  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय  
भोपाल ।

विषय :- मडई विकास योजना 2021 का प्रारूप प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की हिन्दी की अधिसूचना दिनांक 11/07/2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 11/07/2018 की प्रति संलग्न है, कृपया उक्त सूचना को असाधारण राजपत्र में दिनांक 11/07/2018 को प्रकाशित का कष्ट करें। संलग्न यथोपरि

( सुनिधा खडके )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 11/07/2018

पृ0क्रमांक-एफ-3/146/2011/32  
प्रतिलिपि:-

संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दौ और रुद्र वर्मा शाहीवा

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

11/7/18

143/4mp  
18-7-18

<b>संचालनालय</b>	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	514
दिनांक	12/07/18
शाखा	अ.स.
संयु. संचा. (स्था.)	संचालक

30/7/18

Indy  
18/7/18

DMC(AW)

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय  
//सूचना//

भोपाल दिनांक 11/07/2018

क्रमांक- एफ-3/146/2011/32 एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मढई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 मे राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है । अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा -2 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणो का विवरण प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणो का विस्तृत विवरण वेबासाइट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयो मे कार्यालयीन समय मे अवकाश के दिनों मे छोडकर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि मे निरक्षण भी किया जा सकेगा -

- 1 अवर-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक 302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल ।
- 2 उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय होशंगाबाद ।

अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव

अ- प्रारूप विकास योजना मढई मे 2021 की पुस्तिका मे कतिपय स्थानों पर टंकण त्रुटियां परिलक्षित हुई है, जिन्हे अंतिम विकास योजना की पुस्तक में सुधार किया जाना आवश्यक है । ये टंकण त्रुटियां निम्नानुसार है:-

- 1 विकास योजना की पुस्तिका की कंडिका 1.5 (द) को निम्नानुसार सुधारा जाये:-  
मढई, प्राकृतिक पर्यावरण एवं यहाँ बहुतायत मे पाई जाने वाली वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र मे पर्यटन, एडवेंचर गेम्स, वन्य जीव, प्राकृतिक दृष्य, बर्ड वाचिंग तथा वनस्पति विज्ञान संबंधी शोध इत्यादि की अपार सम्भावनाये है।
- 2 विकास योजना पुस्तिका की कंडिका 1.7 मे निम्नानुसार संशोधन किया जाये:-  
मढई, निवेश क्षेत्र के ग्राम कामती,टेकापार,सारंगपुर,घोघरी, एवं बीजाखारी बफर जोन मे आते है जबकि रैनीपानी एवं श्रीरंगपुर बहुउपयोगी क्षेत्र के ग्राम है ।
- 3 सारणी 1-सा-8 के बाद फुटनोट जोडा जाये:-

(अ) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 7 ग्रामों में से रैनीपानी ग्राम में वर्ष 1991 की जनसंख्या 51 घटकर वर्ष 2001 में 45 रह गई जबकि 6 ग्रामों में जनसंख्या वृद्धि नगण्य है।

(ब) वर्ष 1991 से वर्ष 2001 के मध्य निवेश क्षेत्र अंतर्गत स्थित 7 ग्रामों में केवल 327 व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि हुई है जिसकी दशकीय वृद्ध दर 11.48 प्रतिशत मात्र है।

4 सारणी 1-सा-9 के बाद फुटनोट जोड़ा जाये:-

वर्ष 1991 तथा वर्ष 2001 की जनसंख्या वृद्धि दर 11.48 प्रतिशत रही है जबकि इस समयावधि में मढई एक वन पर्यटन का केन्द्र बनकर उभरा है, इससे स्पष्ट है कि मढई में आने वाले लोग पर्यटक हैं तथा यहाँ प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर के अतिरिक्त अन्य कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है, इस कारण से जनसंख्या प्रक्षेपण में प्राकृतिक वृद्धि दर को दृष्टिगत रखा गया है।

5 विकास योजना पुस्तिका की कंडिका 3.3 को विलोपित किया जाये।

6 विकास योजना पुस्तिका की कंडिका 3.7 में निम्नानुसार सुधार किया जाये:-

वर्ष 2009-10 में पर्यटकों की संख्या लगभग 3621 थी जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 4500 से अधिक हो गई। इस कारण वर्ष 2009-10 से 2010-11 में पर्यटकों की संख्या में 24 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 तक पर्यटकों की संख्या 11000 प्रतिवर्ष से अधिक होने की संभावना है। वर्तमान में मढई में स्थित 3 रिसोर्ट तथा एक फारेस्ट हाऊस में 90 बिस्तारों की व्यवस्था है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना में रिसोर्ट तथा कैम्पिंग साईट हेतु स्थान प्रस्तावित किये गये हैं।

7 विकास योजना पुस्तिका की कंडिका 4.3(ई) को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

बीजाखारी पूर्णतः समतल क्षेत्र है। अतः यहाँ पर रिहायशी भूमि उपयोग है। बफर जोन में होने के कारण केवल उल्लेखित गतिविधियाँ ही प्रावधानित की जा सकेंगी।

8 विकास योजना की कंडिका 4.4 के अ एवं ब भाग को विलोपित कर निम्नानुसार संशोधन किया जाये:-

बहुउपयोगी ग्रामों के प्रस्ताव विकास योजना में निर्धारित किये गये हैं तथा उनके विस्तृत नियम अध्याय 5 में दिये गये हैं।

9 विकास योजना की कंडिका 6.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

(अ) भूमि उपयोग प्रस्तावों के विकास नियमन अध्याय 5 में दिये गये हैं।

(ब) विकास योजना का क्रियान्वयन निजी/शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जावेगा। मढई निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा स्थानीय जनसंख्या अत्यंत ही कम है इस कारण पूर्ण निवेश क्षेत्र ही निवेश इकाई के रूप में मान्य किया गया है। सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियों

59

को समन्वित करने तथा समग्र पर्यवेक्षण का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा किया जावेगा ।

(स) विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो की उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद में प्रस्तुत किया जावेगा । उप-संचालक प्राप्त होने वाले विकास अनुज्ञा प्रकरणों में वन विभाग एवं राजस्व विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत ही विकास अनुज्ञा पत्र जारी करेगा ।

विकास योजना में दिये गये नियमनों के अनुरूप प्रस्ताव हेतु भवन अनुज्ञा के लिये आवेदन स्थानीय प्राधिकारी (ग्राम पंचायत ) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

- 10 विकास योजना की कंडिका 6.10 के बिन्दु क्रमांक 2,4, तथा 7 को विलोपित किया जाये ।
- 11 विकास योजना के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1 पृष्ठ संख्या 25 (अ) में त्रुटिवश ग्राम रैनीपानी में कृषि उपयोग दर्शाया गया है जबकि खसरा रजिस्टर के अनुसार ग्राम रैनीपानी में वन भूमि व वृक्षारोपण है । अतः राजस्व रिकार्ड के अनुसार रैनीपानी में वन दर्शाया जाना प्रस्तावित है ।

ब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित उपांतरण ।

1. सारणी 2-सा-1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये:-

मदई: वर्तमान भूमि उपयोग 2011

सारणी 2-सा-1

क्रमांक	भू-उपयोग प्रकार	वर्तमान भूमि उपयोग का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	आवासीय	18.19
2	वाणिज्यिक	11.85
3	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	17.41
4	सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ	0.65
5	यातायात एवं परिवहन	4.00
	योग	52.10
6	कृषि/जलाशय/नदी/बफर जोन	3437.90
	महायोग	3490.00

2. प्रारूप विकास योजना 2021 के अध्याय-5 के स्थान पर नया अध्याय 5 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

57

## अध्याय-5 विकास नियमन

### 5.1 प्रवृत्तशीलता

यह नियमन निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास, भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन को नियंत्रित करेंगे।

### 5.2 क्षेत्राधिकार

- 1 इस अध्याय में वर्णित नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे।
- 2 मढई प्राकृतिक वनों से आच्छादित तथा जल स्रोतों से पूर्ण आच्छादित क्षेत्र हैं जिसमें अत्यंत सीमित विकास हेतु भूमि उपयोग प्रस्तावित किया गया है। मढई निवेश क्षेत्र 3490 हेक्टेयर का हो जो निवेश इकाई के रूप में ही स्थित है तथा सभी विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। अतः परिक्षेत्रिक योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- 3 विकास योजना में मानचित्र जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है, को क्षेत्रफल की गणना एवं रेखीय नाप आदि हेतु उपयोग नहीं किया जावेगा। इस हेतु 1:4000 की माप पर बने मानचित्र का उपयोग किया जावेगा।
- 4 सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित यदि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में यह मान जाएगा कि उस अभिन्यास में वर्णित उपयोग ही विकास योजना में मान्य होगा।
- 5 ऐसा क्षेत्र जैसे बफर जोन, नदी का डूब क्षेत्र इत्यादि में जो भी प्रतिबंध आवश्यक होंगे तो इसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा।
- 6 विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7 निवेश क्षेत्र स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि, विकास योजना 2021 के प्रस्तावों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी।
- 8 इस क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना, खनिज खनन करना ऐसा कार्य जिससे इको सेंसिटिव क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण होता है, प्रतिबंधित रहेगा।

53

- 9 रिजर्व और संरक्षित वन की 500 मीटर की सीमा में स्थित भवन मालिक तार फेंसिंग नहीं लगायेंगे इस सीमा के बाद भी फेंसिंग 1 मीटर से अधिक ऊँचाई की नहीं होगी ।
- 10 प्रत्येक होटल बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के उपयोग को प्राथमिकता देंगे एवं नान बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पृथक करने के पश्चात निर्धारित रिसाईकिल कर साईट पर भेजा जाये । इसे जलाना प्रतिबंधित होगा ।
- 11 प्लास्टिक का उपयोग भी प्रतिबंधित होगा ।
- 12 व्यर्थ पानी अथवा Untreated effluent निवेश क्षेत्र के जल स्रोत में बहाना प्रतिबंधित रहेगा।
- 13 इस क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट को किसी जल स्रोत में प्रवाहित करना अथवा खुले पिट में डालना प्रतिबंधित रहेगा।
- 14 ग्राम श्रीरंगपुर तथा रैनीपानी के विकास अनुज्ञा प्रकरणों में राजस्व तथा वन विभाग से भूमि के प्रस्तावित विकास के संबंध में अनापत्ति प्राप्त होने पर ही नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से व्यपर्तन/विकास अनुज्ञा के प्रकरणों में आदेश जारी किया जायेगा। अनापत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अनुज्ञा आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।
- 15 ग्राम टेकापार,बीजाखारी,कामती,सारंगपुर,तथा ग्राम घोघरी के व्यपर्तन/विकास अनुज्ञा आदि से संबंधित प्रकरणों में राजस्व विभाग तथा कार्यालय सतपुडा टाईगर रिजर्व जिला होशंगाबाद से अनापत्ति प्राप्त होने पर ही नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय होशंगाबाद से व्यपर्तन/विकास अनुज्ञा के प्रकरणों में आदेश जारी किया जायेगा । अनापत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अनुज्ञा आदेश जारी नहीं किया जायेगा ।

### 5.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र	मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित कार्य-कलापों में से किसी एक कार्य कलाप का क्षेत्र ।
उपयोग परिसर	ऐसा परिसर जिसे अभिन्यास में दर्शाये तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
ग्रामीण आबादी	भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली मानचित्र में दर्शाई ग्रामीण आबादी ।
भूमि उपयोग मानचित्र	सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र ।
संवदनशील क्षेत्र	प्राकृतिक जल प्रवाह तंत्र , वनस्पति क्षेत्र, रिजर्व फारेस्ट, प्रोटेक्टेड फारेस्ट, परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल आधार पर संबंधित विभाग द्वारा सीमांकित क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र कहलायेगा ।
पर्यायवरण हितैषी (Eco-Friendly)	अनुकूल निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी की दीवारें , कंक्रीट की छतें, सौर ऊर्जा उपकरणों का उपयोग, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री का उपयोग मान्य होगा । किन्तु रसायनिक उर्वरकों,पॉलीथीन,ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटर आदि का उपयोग निषेध ।

पर्यावरण प्रमाणीकरण Environmental Certification	पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रभावों को कम से कम नुकसान पहुँचाने वाली सामग्री का प्रयोग करना। पर्यावरण प्रमाणीकरण जैसे:- Indian green building council जैसी संस्था पर्यावरण प्रमाणीकरण पत्रक प्रदान करती है।
बफर जोन	राज्य शासन द्वारा घोषित बफर जोन।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट	बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह वेस्ट है जिसे माइक्रोऑर्गेनिज्म के माध्यम से खत्म किया जा सकता है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट	नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वह वेस्ट है जिसे माइक्रोऑर्गेनिज्म के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता है।
रिसोर्ट	पर्यटकों के निवास हेतु विकसित एवं निर्मित स्थान जहाँ कॉटेज, अस्थाई टेन्ट, डायनिंग हॉल, किचन स्टोर, नेचरोपैथी, योगा रूम, लायब्रेरी, सोविनियर शॉप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हो का निर्माण किया जा रहा है।

#### 5.4 उपयोग परिक्षेत्र

मदई निवेश क्षेत्र को 8 उपयोग परिक्षेत्र में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं। प्रत्येक परिसर में विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होंगी।

निर्धारित मुख्य 8 भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्रों रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएँ, आमोद प्रमोद, यातायात एवं परिवहन कृषि।

#### 5.5 आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

- 1) मदई निवेश क्षेत्र प्रमुखतः घने जंगलों से आच्छादित है तथा विकास योजना में वर्तमान आबादी क्षेत्र के प्राकृतिक वृद्धि के अतिरिक्त कोई अन्य आवासीय प्रस्ताव नहीं दिया गया है।
- 2) निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों की वर्तमान आबादी से 100 मीटर दूरी तक ही आवासीय उपयोग मान्य होगा जो कि संबंधित ग्राम के विस्तार अनुरूप मान्य होगा। सामान्यतः निवेश क्षेत्र के ज्यादातर ग्रामों की आबादी मार्ग के दोनों तरफ लम्बाई में बसी है एवं इसी के अनुक्रम में इन गावों में भविष्य में आवासीय अनुमति दी जा सकेगी एवं रिसोर्ट के लिए यह मान्य नहीं होगा। वर्तमान आबादी की सीमा विकास योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार होगी। यह आबादी क्षेत्र केवल ग्रामीणों की रहवासी आवश्यकताओं के लिए है। इस 100 मीटर की परिधि में निजी निवेशकों को कालोनी विकसित करने की भी अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 3) आवासीय क्षेत्र हेतु अधिकतम एफ.ए.आर. 1, भू-तल निर्मित क्षेत्रफल 50 प्रतिशत एवं ऊँचाई 6 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी।

52

- 4) भवन निर्माण में इको फ्रेंडली सामग्री/स्थानिय निर्मित सामग्री जैसे जंगलवुड, ईट, क्वेल्, पत्थर का उपयोग करना होगा। काँस्ट इन सीटू, आर.सी.सी. का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
- 5) निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों के वर्तमान आवास में 3 कमरे तक स्टे होम के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

यहाँ पर सुविधा के लिए होम स्टे को परिभाषित किया जा रहा है कि ऐसे स्थानीय निवासियों के निजी आवास को Holiday/Rent पर देकर रुकने की सुविधा। होम स्टे एक प्रकार का ऐसा निवास होता है, जिसमें आगतुक स्थानीय व्यक्ति के निजी आवास में रुकते हैं तथा जिसका वित्तीय आदान-प्रदान हो सकता है। निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों के निजी आवास को आबादी क्षेत्र में विस्तार मान्य होगा। होम स्टे में डॉर्मिटोरी किस्म की व्यवस्था प्रतिबंधित होगी।

### 5.5.1 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियम

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ हेतु नियम निम्नानुसार रहेगे:-

- राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्तमान जल प्रवाह तंत्र के एफ.टी.एल. से न्यूनतम 30 मीटर तथा तालाबों के एफ.टी.एल. से न्यूनतम 100 मीटर एवं मुख्य जल प्रवाह तंत्र (देनवा नदी) के किनारे से 500 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जायेगा। इस सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की नैसर्गिक स्थिति में किसी प्रकार का बदवाला या निर्माण नवनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।
- इस क्षेत्र में केवल वृक्षारोपण तथा बैठने की व्यवस्था, बर्ड वॉचिंग टावर स्वीकार की जायेगी।
- प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्रों में मल प्रवाह की अनुमति नहीं दी जावेगी। जल-मल निकासी हेतु उचित व्यवस्था यथा सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट बनाना अनिवार्य होगा तथा किसी भी दशा में इसे खुले में प्रवाहित करने की अनुमति नहीं होगी।
- देनवा नदी के कैचमेंट एरिया में पेट्रोलियम व रासायनिक आधारित उर्वरकों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा वन एवं कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निगरानी की जायेगी।

### 5.5.2 वन आवास (घोघरी, कामती, टेकापार, सारंगपुर, बीजाखारी)

विकास योजना में बफर जोन में स्थित ग्रामों में कृषि भूमि में निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं कृषि फार्म संबंधी अन्य गतिविधियाँ हेतु आच्छादित क्षेत्र वन आवास के अंतर्गत विकसित किया जा सकता है जिसके मापदंड निम्नानुसार रहेगे:-

- 1 भू-खंड का न्यूनतम आकार दो हेक्टेयर होगा।





- 2 अधिकतम कुल निर्मित क्षेत्र 200.00 वर्गमीटर तक अनुज्ञेय होगा तथा भूमि दो हेक्टर ( पांच एकड़) से अधिक होने पर भी यही निर्मित क्षेत्र मान्य होगा ।
- 3 भवन निर्माण मे इको फेन्डली सामग्री/स्थानीय निर्मित सामग्री का उपयोग करना होगा एवं अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर तक होगी । संरचना का निर्माण ढलुआ छत के रूप मे होगा जिसमे केवल लकड़ी, स्टील की संरचना, कवेलू जी.आई. शीट इत्यादि का उपयोग मान्य होगा । कास्ट इन सीटू, आर.सी.सी. का निर्माण मान्य नहीं होगा ।
- 4 कर्मचारी/चौकीदार आवास हेतु अधिकतम 20 वर्गमीटर की दो इकाईयां का निर्माण मान्य होगा । तथा व्यक्तिगत पशुबाडा हेतु कुल 80 वर्गमीटर का अधिकतम अस्थाई निर्माण मान्य होगा ।
- 5 वन आवास के भू-खंड मे दो हेक्टर मे न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपड करना होगा । जिनके विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा ।
- 6 फार्म हाऊस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिए पहुँच मार्ग/ मेढ उपलब्ध हो ।
- 7 पक्की सड़क से भिन्न सार्वजनिक पहुँच मार्ग पर स्थित वन आवास को सभी ओर से खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । किन्तु पहुँच मार्ग से न्यूनतम 6 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा ।
- 8 यदि वन आवास पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा मे ,सड़क के मध्य से 15 मीटर का सेटबेक रखना अनिवार्य होगा ।
- 9 जहां तक संभव हो भवन/भूखंड पर उर्जा बचत (एनर्जी इफिसियसी) तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र जैसे सोलर लाईट, सोलर कुकर , सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इत्यादि लगाये जाये किन्तु किसी भी प्रकार का जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
- 10 वर्षा के जल संरक्षण हेतु जल को संरक्षित तथा पुनः उपयोग एवं वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग लगाना अनिवार्य होगा ।
- 11 भवन से निकलने वाले नान बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर परिसर मे ही सुरक्षित नष्ट करना ( प्रदुषण नियंत्रण मंडल के मानको का पालन करते हुये होगा । बायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को वर्मीकम्पोस्ट के रूप मे प्रयोग मे लाना अनिवार्य होगा ।
- 12 ध्वनि, वायु, तथा जल प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के मानको के अनुसार पूर्ति होने पर ही गतिविधि मान्य होगी ।

23

- 13 आवेदक को विकास अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद से अनापतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 14 किसी भी कृषि भूमि का भूमि-स्वामी उक्त मापदंडों के अनुसार वन आवास के रूप में भूमि विकसित करने से पूर्व उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय होशंगाबाद से अनुज्ञा प्राप्त करेगा । विकास अनुमति प्राप्त करते समय प्रश्नाधीन स्थल का कन्टूर मेप जिस पर जल स्रोत एवं निकासी के चैनल अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 15 विकास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐसे क्षेत्रों का पारिवारिक उप-विभाजन होने पर भी वन आवास के नियमों में शिथिलता नहीं दी जायेगी ।

## 5.6 रिसोर्ट हेतु नियमन

विकास योजना के ग्राम में निजी भूमि स्वामित्व की भूमि पर वन संपदा स्थित है । वन आच्छादित क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर खुली भूमि प्राप्त होने की स्थिति में एसी भूमि पर रिसोर्ट की अनुज्ञा दी जा सकती है

- 1 बफर जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम (घोघरी, कामती, टेकापार, सारंगपुर, बीजाखारी ) में न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर ( 5 एकड़) में 5 कमरे/ कॉटेज ( 10 बेड) प्रति एकड़ मान्य होगा ।
- 2 बफर जोन के बहार आने वाले ग्राम ( श्रीरंगपुर तथा रैनीपानी ) में 1.00 हेक्टेयर ( 2.5 ) एकड़ न्यूनतम क्षेत्रफल होना आवश्यक है तथा ग्राऊंड कवरेज अधिकतम 10 प्रतिशत मान्य होगा, कॉटेज/कमरे का क्षेत्रफल पृथक से निर्धारण नहीं होगा । किन्तु इसका सकल निर्मित क्षेत्र कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ( अर्थात् अधिकतम ग्राऊंड कवरेज का दुगुना क्षेत्रफल )
  - क) रिसोर्ट में कॉटेज अथवा रुम का साईज का कोई निर्धारण नहीं है बल्कि अधिकतम 10 प्रतिशत ग्राऊंड कवरेज मान्य होगा जिसमें कॉटेज कामन फेसेलेटिज, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, किचन, स्टाफ इत्यादि सम्मिलित होगा ।
  - ख) भवन की अधिकतम ऊँचाई 6.00 मीटर होगी जिसमें छत ढलुआ होगी । इस भवन की ऊँचाई में Stile / Plinth को नहीं जोड़ा जावेगा ।
  - ग) उपरोक्त नियमन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, डायनिंग हॉल आदि तथा स्टाफ भवन पर भी लागू होगा ।
  - घ) कॉम्प्लेक्स तथा भवन की बाहरी रूपरेखा इस प्रकार की होना चाहिए जो आसपास के वातावरण के अनुरूप घुलमिल जाये। अतः उपरोक्त का ध्यान में रखते हुए आर.सी.सी. उपयोग को मान्य किया जा सकेगा ।
  - ङ) नवीन रिसोर्ट अथवा होटल का अवभाष जलाशय अथवा टेनवा नदी की ओर रखना अनिवार्य होगा । एसी संरचना का पृष्ठ भाग नदी/जलाशय की ओर नहीं रखा जाय ।

१३

- 3 ट्री हाऊस ( जो पेड के ऊपर बनाया जाता है ) पानी की टंकी, दृश्य अवलोकन टावर के लिए ऊंचाई का प्रतिबंध 10 मीटर की ऊंचाई तक होगा। ट्री हाऊस की संरचना अस्थाई निर्माण सामग्री जैसे-लकड़ी, स्टील, जैसी बनी सामग्री से होना अनिवार्य होगा।
- 4 रिसोर्ट में अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होंगी।
- 5 रिसोर्ट केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिसके लिए सड़क मार्ग उपलब्ध होगा।
- 6 रिसोर्ट के चारों तरफ न्यूनतम 30 मीटर का सीमांत खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त 20 चार पहिया वाहनो के पार्किंग हेतु व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 7 मान्यता प्राप्त संस्थान से इन्वायरमेंटल सर्टीफिकेशन जैसे (ग्रीन हाऊस बिल्डिंग काउन्सिल) का गाइडलाइन से निर्माण करना और निर्माण समाप्ति होने के बाद इन्वारमेंटल सर्टीफिकेशन उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय होशंगाबाद में जमा करवाने पर अधिकतम 2 अतिरिक्त कॉटेज निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।
- 8 भवन/भू-खंड पर ऊर्जा बचत ( एनर्जी इफिसियंसी) तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्र जैसे सोलर लाईट, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इत्यादि लगाना अनिवार्य होगा तथा किसी भी प्रकार के जनरेटर का उपयोग निषिद्ध होगा।
- 9 वर्षा के जल संरक्षण हेतु जल को संरक्षित तथा पुनर्चक्रीकरण एवं वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- 10 भवन से निकलने वाले नॉन वायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर परिसर में ही सुरक्षित नष्ट करना अनिवार्य होगा। परिसर में वायोडिग्रेडेबल ठोस अपशिष्ट को वर्मीकम्पोस्ट के रूप में उपयोग करना अनिवार्य होगा।
- 11 ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार पूर्ति होने पर ही गतिविधि मान्य होगी।
- 12 रिसोर्ट में रसायनिक उर्वरक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- 13 आवेदक को विकास अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व ग्राम रैनीपानी, श्रीरंगपुर के लिए समान्य वन मंडल होशंगाबाद से अनापतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं राजस्व भूमि का सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 आवेदक को रिसोर्ट के रूप में विकसित करने से पूर्व उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय होशंगाबाद से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विकास अनुमति प्राप्त करते समय प्रश्नाधीन स्थल का कन्टूर मैप जिस पर स्थल स्रोत एवं निकासी के चैनल अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 15 विकास अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐसे क्षेत्रों का पारिवारिक उप-विभाजन होने पर भी इन रिसोर्ट / होटल के नियमों में शिथिलता नहीं दी जायेगी।

5/12

### 5.6.1 मढई क्षेत्र मे वर्तमान मे संचालित होटल तथा रिसोर्ट हेतु नियमन -

उपरोक्त नियम पूर्व मे संचालित रिसोर्ट पर लागू नही होंगे, किंतु जब तक वर्तमान मे संचालित रिसोर्ट/होटल के द्वारा विकास योजना मे दिये गये नियमन का प्रावधान नही किया जाता तब तक भवन का विस्तार ( Expansion) की अनुमति नही दी जायेगी ।

विस्तार मे वर्तमान मे संचालित होटल तथा रिसोर्ट के क्षेत्रफल ग्राऊंड कवरेज अथवा भवन की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति नही होगी किन्तु इसके लिए वर्तमान क्षमता/संरचना को यथावत रखा जा सकेगा ।

### 5.6.2 सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक उपयोग

विकास योजना प्रस्ताव मे केवल शासकीय कार्यालय पशु चिकित्सालय,शाला भवन, एवं स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये है । इनके विकास हेतु म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाये । किन्तु भवनो की ऊंचाई अधिकतम 6.00 मीटर एवं ढलवा छत के साथ निर्माण किया जाये ।

### 5.6.3 सार्वजनिक उपयोगिताये

विकास योजना मे श्मशान,कब्रिस्तान तथा पिकअप सेंटर स्टेशन प्रस्तावित है । विद्युत व्यवस्था के लिए सब-स्टेशन निवेश क्षेत्र के बाहर पूर्व मे ही स्थित है । तथापि आवश्यकता होने पर निवेश क्षेत्र मे भी प्रस्तावित किया जा सकता है ।

### 5.6.4 अस्थायी टेंट क्षेत्र हेतु नियमन

विकास योजना मे निवेश क्षेत्र सीमा मे ग्राम रैनीपानी एवं श्रीरंगपुर छोडकर अन्य ग्रामो मे निम्न मापदंडो के अध्याधीन अस्थाई टेंट की व्यवस्था की जा सकेगी ।

- 1 भू-खंड का न्यूनतम क्षेत्रफल आकार 4.00 हेक्टेयर होगा ।
- 2 भू-खंड पर अधिकतम संख्या 15 अस्थाई टेंट होंगे जिसमे से 10 अस्थाई टेंट 15 वर्गमीटर के तथा 5 अस्थाई टेंट 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के नही होंगे । भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने पर भी 15 अस्थाई टेंट से अधिक संख्या मान्य नही होगी ।
- 3 टेंट लगाने के लिए उपयोग मे लायी जाने वाली सामग्री रासायनिक पदार्थो अथवा प्लास्टिक आदि से निर्मित नही होनी चाहिए ।
- 4 भू-खंड पर कार्ट ट्रैक/ पगडण्डी से पहुँच मार्ग होना अनिवार्य होगा ।

53

- 5 ध्वनि, वायु, तथा जल प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार पूर्ति होने पर ही गतिविधि मान्य होगी।
- 6 अस्थायी टेंट के भूखंड पर अस्थाई रसोईघर, पेयजल की सुविधा एवं अस्थायी शौचालय का प्रावधान करना अनिवार्य होगा जिसकी जल-मल निकासी डिस्पोजल अपने भू-खंड पर ही किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुविधा उपलब्ध होने पर ही अनुज्ञा दी जा सकेगी। यह अनुज्ञा पूर्णतः अस्थायी स्वरूप की होगी जिसे प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् पुनः प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दी गई अनुज्ञा तीन वर्ष की समयवधि में स्वतः व्यपगत हो जायेगी।
- 7 किसी भी भू-खंड का भूमि स्वामी उक्त मापदंडों के अनुसार टेंट लगाने के स्थान के रूप में विकसित करने से पूर्व कार्यालय उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विकास अनुमति प्राप्त करते समय प्रश्नाधीन स्थल का कन्टूर मेप जिस पर जल स्रोत एवं निकासी के चैनल अंकित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8 विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय सतपुडा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद तथा राजस्व विभाग से टेंट लगाने हेतु अनापत्ति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 9 आवेदक को विकास अनुमति आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व बफर जोन ग्राम कामती, टेकापार, सारंगपुर, घोघरी, बीजाखारी के लिए सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद तथा वन मंडल होशंगाबाद एवं बहु उपयोगी ग्राम रैनीपानी, श्रीरंगपुर के लिए सामान्य वन मंडल होशंगाबाद अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं राजस्व भूमि का सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

## 5.7 स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियाँ

विकास योजना में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है।

महई: स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

सारणी 5-सा-1

क्रमांक	भूमि-उपयोग	परिक्षेत्र में स्वीकार उपयोग
1	आवासीय आबादी क्षेत्र	आबादी क्षेत्र-आवास गृह, सामुदायिक हॉल, विद्यालय, सार्वजनिक उपयोगिताये एवं सेवाये, साप्ताहिक हाट, आटा चक्की, सुविधाजनक दुकाने, सहकारी उपभोक्ता भंडार
2	वाणिज्यिक	फुटकर दुकाने, रिसॉर्ट, पिकअप स्टेशन, सांस्कृतिक प्रचार केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, इंटरप्रिडेशन सेंटर, मोटर वर्कशॉप, सामान्य बाजार हाट,
3	सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक	केन्द्र एवं राज्य शासन के कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, पुलिस पोस्ट, कला प्रदर्शन कक्ष, शैक्षणिक संस्थायें, स्वास्थ्य केन्द्र, योगा केन्द्र, सुविधाजनक दुकाने।
4	आमोद प्रमोद	पिकनिक स्थल, उद्यान पक्षी अभ्यारण्य, एडवेंचर खेलों से संबंधित स्थल।
5	कृषि	वन आवास, एवं स्थायी टेंट स्थान, कब्रिस्तान, शमशान, दूध एवं कुक्कुट पालन,

रेशम केन्द्र संबंधित उपयोग, ग्रामीण आबादी विस्तार संबंधित नियमन 5.5 के अध्यक्षीन विकास ।
--

## 5.8 नये होटल अथवा रिसोर्ट हेतु समिति का गठन -

नये होटल अथवा रिसोर्ट के अनुमोदन हेतु कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस कमेटी को किसी अन्य बात के निहित न रहते हुए शक्तियाँ होगी की मढ़ई विकास योजना के प्रावधानो अंतर्गत कमेटी इको सेन्सटिव जोन , ईको सिस्टम मे वृद्धि अथवा सुधार हेतु निर्देश/आदेश प्रसारित कर सकेगी ।

म.प्र.शासन द्वारा भारत सरकार को सतपुडा नेशनल पार्क , पचमढी, तथा बोरी वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी के संबंध मे इको सेन्सटिव जोन को घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया जिसमे मोनिटरिंग एंड इंफार्मेशन कमेटी मे संशोधन किया जाना आवश्यक है जिस हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है । संशोधित कमेटी निम्नानुसार प्रस्तावित है ।

1	संभागायुक्त, नर्मदापुरम होशंगाबाद	-	अध्यक्ष
2	फील्ड डायरेक्टर, सतपुडा टाईगर रिजर्व होशंगाबाद	-	सदस्य सचिव
3	कलेक्टर होशंगाबाद	-	सदस्य
4	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संबंधित उपसंचालक	-	सदस्य
5	म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	-	सदस्य
6	इंफ्रको, इडी का प्रतिनिधि जो मुख्य अभिन्यता स्तर से कम का न हो	-	सदस्य
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी पचमढी एस.ए.डी.ए.	-	सदस्य
8	म.प्र.टूरिजम डेव्हलपमेंट कांपोरेशन का प्रतिनिधि जो ए.एम.डी. स्तर से कम का नाम हो	-	सदस्य
9	मढ़ई होटल तथा लाजिस एसोसिएसन के प्रतिनिधि जो म.प्र.टूरिजम विकास द्वारा नामांकित हो । इसमे 1 बडे तथा 1 छोटे लोजिस के प्रतिनिधि हो ।	-	सदस्य

## 5.9 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रारूप अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । जो उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद मे प्रस्तुत किया जायेगा । उप-संचालक प्राप्त होने वाले विकास अनुज्ञा के प्रकरणो मे वन विभाग एवं राजस्व विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत ही विकास अनुज्ञा पत्र जारी करेगा । विकास योजना मे दिये गये नियमनो के अनुरूप प्रस्ताव हेतु भवन अनुज्ञा के लिये आवेदन स्थानीय प्राधिकारी (ग्राम पंचायत) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

53

विकास अनुज्ञा की शर्तों के उल्लघन की स्थिति में उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश होशंगाबाद को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कलेक्टर होशंगाबाद की अध्यक्षता में नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था के विकास योजना के नियमनों के उल्लघन करने की स्थिति में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत संज्ञान में लेकर उप-संचालक को आवश्यक निर्देश भी दिये जा सकेंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(श्री शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
५/११/१८

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल दिनांक 11/12/2017


क्रमांक-एफ-3/146/2011/32 :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत मढ़ई निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19 उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक // /2017 को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- (1) अवर सचिव, मध्यप्रदेश, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष क्रमांक-302 बी, तृतीय तल, मंत्रालय, भोपाल,
  - (2) कलेक्टर, जिला होशंगाबाद,
  - (3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय होशंगाबाद।
2. प्रारूप विकास योजना मढ़ई 2021 की पुस्तिका में कंडिका 1.5 (द), 1.7, सारणी 1-सा-8, सारणी 1-सा-9, कंडिका 3.3, 3.7, 4.3 (ई), 4.4, 6.2, 6.10 तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1, में टंकन त्रुटियां ठीक की जाना प्रस्तावित है।
3. उपांतरण का विवरण:-
- (क) सारणी 2-सा-1 वर्तमान भूमि उपयोग के स्थान पर संशोधित सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- (ख) प्रारूप विकास योजना 2021 के अध्याय-5 के स्थान पर नया अध्याय-5 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव का विस्तृत विवरण [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

उक्त उपांतरण विवरण के संबन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त लिया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(श्री० शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग